व् अदालत् अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा।

पी0 ए0 केश सं0–01/2019–20

गणेश सिंह

बनाम्

रैयान मौजा–चामुडीह

12/10/19

—: आदेश :—

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता को सुना। अभिलेख का अवलोकन किया।

आवेदक गणेश सिंह, पे0–स्व0 महावीर सिंह, सा0–महेशकुतरो, अंचल–पोड़ैयाहाट, जिला–गोड्डा ने रिक्त प्रधानी पद पर नियुक्ति के लिए आवेदन किया है। आवेदन के आधार पर अंचल अधिकारी, पोड़ैयाहाट से जाँच–प्रतिवेदन की माँग की गयी है। जाँच–प्रतिवेदन अंचल अधिकारी, पोड़ैयाहाट के पत्रांक–326/रा0, दिनांक–14/06/2019 से प्राप्त हुआ है। अंचल अधिकारी, पोड़ैयाहाट के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि मौजा–चामुडीह के गत प्रधान महावीर सिंह थें। पूर्व प्रधान स्व0 महावीर सिंह की मृत्यु हो गयी है। आवेदक गणेश सिंह पूर्व प्रधान स्व0 महावीर सिंह के ज्येष्ठ पुत्र है।

मौजा के सोलह आना रैयतों को आपत्ति हेतु नोटिश का तामिला कराया गया। कहीं से किसी प्रकार का कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुआ है। इससे स्पष्ट होता है कि आवेदक मौजा के रैयतों को सामान्यतया स्वीकार्य योग्य है।

अतः अंचल अधिकारी, पोड़ैयाहाट से प्राप्त जाँच–प्रतिवेदन के आधार पर संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम, 1949 की धारा 06 के प्रावधान के तहत् मौजा–चामुडीह, थाना नं0–112 के प्रधानी पद पर आवेदक गणेश सिंह, पे0–स्व0 महावीर सिंह, सा0–महेशकुतरो, अंचल–पोड़ैयाहाट, जिला–गोड्डा को नियुक्त किया जाता है। नवनियुक्त प्रधान को आदेश दिया जाता है कि वे एक साल का खजाना बतौर जमानत की राशि के रूप में कोषागार में जमाकर चालान की प्रति के साथ कबूलियत दाखिल कर पट्टा प्राप्त करें।

लिखाया एवं शुद्ध किया।

अनुमंडल पदाधिकारी,
गोड्डा।

अनुमंडल पदाधिकारी,
गोड्डा।